

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर

200

(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान) कैम्प.....चक्र.....

आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी चक्र व भूअनि कर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार दांतारामगढ़ / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम चक्र प0ह0 चक्र तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की जमाबन्दी सम्वत् 2076-77 में खाता संख्या 42 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है-

क्र सं	ग्राम / प0ह0	खाता संख्या / खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	<u>चक्र/चक्र</u>	<u>42</u> ख.सं. 791,797 डि. 2 कुल रकम 2448/-	<u>भूराज पुत्र जीवराज</u>	<u>वाडी का नाम भूराज पुत्र जीवराज इत्यादि पर और लाल पुत्र जीवराज पुत्र के भ्रष्टेरी दिने जाते है। सि.सी.जी.आ.प्र.म.का स्थान आदेशानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद रहे। (श्री) ज.जा.जी. अस्तुर रहे।</u>

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

(राजेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर
दिनांक:- 11/10/2021

क्रमांक / कैम्प / 2021 / 60
प्रतिलिपि:-

- 1 तहसीलदार, दांतारामगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
- 2 प्रार्थी श्री.....को सूचनार्थ।
- 3 रक्षित पत्रावली।

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

पीठासीन अधिकारी प्रशासन संग गांवों के अभियान-2021
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर।